न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 177/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/369

निर्णय दिनांक 18.03.2026

1. मंजू पत्नी स्व. केसाराम
2. किरण | पुत्रियां केसाराम
3. सरिता |

जाति जाट निवासीगण सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

4. पूजा बउम्र 15 वर्ष
5. आईना बउम्र 13 वर्ष
6. रामलाल बउम्र 11

नाबालिगान पुत्र/पुत्रियां स्व. केसाराम जरिये कुदरतीवली माता मंजू पत्नी केसाराम जाति जाट निवासीगण सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़

—वादीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—
1. श्री ओमनाथ सिद्ध अभिभाषक वादीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एंव धारा 136 एलआरए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि वादीगण गांव सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के निवासीगण है जो एक ही परिवार के सदस्यगण है। वादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 280 तादादी 3.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300 तादादी 8.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 तादादी 9.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 तादादी 9.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 तादादी 4.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 तादादी 5.5600 हैक्टेयर वाकेरोही सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उपरोक्त खसरान भूमि में 1/6 हिस्सा की खातेदारी वादीगण के ससुर/दादा तेजाराम पुत्र अर्जुनराम के नाम से रही है। तेजाराम की मृत्युपरान्त उपरोक्त खसरान भूमि की खातेदारी तेजाराम के मौजूद वारिसान पानादेवी पत्नी, खिराजराम पुत्र, हीरा, तुलछा पुत्रियां व स्व. कोडाराम (पुत्र) के वारिसानों के नाम तथा वादीगण के पति/पिता स्व. केसाराम के वारिसान के नाम जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 643 दिनांक 24.05. 2024 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कर दी गई। तेजाराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी के मातहत कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 21.05.2024 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई है व स्व. तेजाराम के वारिसान की वंशावली बनाई गई है व तेजाराम के वारिसान को अंकित किया गया है जिसमें वादीगण के पति/पिता का नाम केसराराम अंकित कर दिया गया जबकि वादीगण के पति/पिता का सही व वास्तविक नाम केसाराम है, इसी प्रकार केसाराम की पत्नी यानि वादिनी सं. 1 का नाम रामेतीदेवी अंकित कर दिया गया जबकि सही व वास्तविक नाम मंजू पत्नी केसाराम है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करते समय वादीगण से कोई आई.डी. नहीं ली गई और मौका पर कुछ मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा लिए और उक्त फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर विरास्तन इन्तकाल दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त विरास्तन इन्तकाल संख्या 643 दिनांक 24.05.2024 को दर्ज करते समय प्रतिवादी के राजस्व कर्मचारियों ने वादिनी संख्या 1 के वास्तविक नाम मंजू पत्नी केसाराम के स्थान पर बोलता नाम रामेती पत्नी केसराराम उपरोक्त खेतों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया तथा वादी संख्या 2 ता 6 के पिता का नाम केसाराम के स्थान पर घरेलू बोलता नाम केसराराम दर्ज कर दिया गया जबकि वादिनी संख्या 1 मंजू का नाम उसके पहचान के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जनआधार, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक आदि दस्तावेजों में मंजू पत्नी केसाराम ही दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादी के राजस्व कर्मचारियों ने उपरोक्त खातेदारी के खेतों का विरास्तन इन्तकाल संख्या 643 दिनांक 24.05.2024 दर्ज करते समय वादीगण व उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ नहीं की गई एवं मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ करके वादीगण एवं वादीगण के पति/पिता केसाराम का घरेलू एवं बोलता नाम केसराराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया एवं वादिनी संख्या 1 मंजू पत्नी केसाराम का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उसके वास्तविक एवं पहचान के दस्तावेजों में दर्ज मंजू पत्नी केसाराम के स्थान पर घरेलू एवं बोलता नाम रामेतीदेवी पत्नी केसराराम दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी के राजस्व कर्मचारियों द्वारा लिपिकीय भूलवंश वादिनी संख्या 1 का नाम व उसके पति का नाम एवं वादी संख्या 2 ता 6 के पिता केसाराम का नाम उनके वास्तविक नाम के स्थान पर घरेलू एवं बोलता नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देने से वादीगण राजस्व रिकार्ड व पहचान के दस्तावेजों में अलग अलग नाम होने के कारण वादगत खेतों में सुधार कार्य करवाने, के.सी.सी. ऋणादि लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपने सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम की घोषणा राजस्व रिकार्ड में करवाकर शुद्धि करवाने के अधिकारी है। वादिनी संख्या 1 का शुरू से ही नाम मंजू पत्नी केसाराम रहा है तथा वादी संख्या 2 से 6 के पिता का नाम शुरू से ही केसाराम रहा है केवल राजस्व रिकार्ड में वादिनी सं. 1 का नाम रामेतीदेवी पत्नी केसराराम व वादी संख्या 2 से 6 के पिता का नाम केसराराम अंकित हो गया है । जबकि वादीगण के अन्य तमाम दस्तावेजों में उनके पति/पिता का नाम सही रूप से केसाराम अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है । वादगत खेतों में वादीगण का नाम, पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत वादीगण ने दिनांक 24.07.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि वादिनी संख्या 1 का नाम मंजू पत्नी केसाराम है जबकि वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर रामेतीदेवी पत्नी केसराराम अंकित कर दिया गया है तथा वादी संख्या 2 से 6 के पिता का नाम भी केसाराम अंकित कर दिया गया है जबकि हमारे अन्य तमाम दस्तावेजात में हमारे नाम व पति/पिता का नाम सही रूप से अंकित चला आ रहा है, हमारे उक्त दस्तावेजों के हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादीगण को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम व आपके पति/पिता का नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादीगण के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में घोषित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादीगण के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी सं. 1 का नाम व पति का नाम गलत अंकित चला आ रहा है तथा वादी संख्या 2 से 6 के पिता का नाम भी गलत अंकित चला आ रहा है जिसकी दुरूस्ती करवाने के वादीगण अधिकारी है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादीगण को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादीगण की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादीगण को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेतों में वादीगण का नाम/पति/पिता का नाम गलत अंकित होने से वादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेत रोही ग्राम सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 280 तादादी 3.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300 तादादी [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 तादादी 9.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 तादादी 9.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 तादादी 4.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 तादादी 5.5600 हैक्टेयर वाकेरोही सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी संख्या 1 का गलत नाम रामेतीदेवी पत्नी केसराराम की जगह मंजू पत्नी केसाराम व वादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

से 6 के पिता का गलत नाम केसराराम की जगह केसाराम की घोषणा की जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे ।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 280 तादादी 3.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300 तादादी 8.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 तादादी 9.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 तादादी 9.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 तादादी 4.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 तादादी 5.5600 हैक्टेयर वाकेरोही सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे वादिनी संख्या 1 के गलत नाम रामेतीदेवी पत्नी केसराराम की जगह मंजू पत्नी केसाराम व वादी संख्या 2 से 6 के पिता के गलत नाम केसराराम की जगह केसाराम अंकित किया जाकर दुरूस्ती किए जाने का आदेश प्रतिवादी के नाम जारी किया जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी में मंजू का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रर्दश करवाये गये। मंजू के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादीगण का वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 280 तादादी 3.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300 तादादी 8.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 तादादी 9.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 तादादी 9.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 तादादी 4.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 तादादी 5.5600 हैक्टेयर वाकेरोही सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी संख्या 1 का नाम 'रामेती देवी पत्नी केसराराम' के स्थान पर 'मंजू पत्नी केसाराम' एवं वादीगण संख्या 2 ता 6 (किरण, सरिता, पूजा, आईना, रामलाल) के पिता का नाम 'केसराराम' के स्थान पर 'केसाराम' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:11 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

1. मंजू पत्नी स्व. केसाराम 2. किरण 3. सरिता	पुत्रियां केसाराम	जाति जाट निवासीगण सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
4. पूजा बउम्र 15 वर्ष 5. आईना बउम्र 13 वर्ष 6. रामलाल बउम्र 11		नाबालिगान पुत्र/पुत्रियां स्व. केसाराम जरिये कुदरतीवली माता मंजू पत्नी केसाराम जाति जाट निवासीगण सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 177/2024

दावा बाबतः खाता घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 18.03.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री ओमनाथ सिद्ध अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 280 तादादी 3.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300 तादादी 8.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 तादादी 9.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 तादादी 9.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 तादादी 4.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 तादादी 5.5600 हैक्टेयर वाकेरोही सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी संख्या 1 का नाम 'रामेती देवी पत्नी केसाराम' के स्थान पर 'मंजू पत्नी केसाराम' एवं वादीगण संख्या 2 ता 6 (किरण, सरिता, पूजा, आईना, रामलाल) के पिता का नाम 'केसाराम' के स्थान पर 'केसाराम' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 18 माह 03 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)